सुरक्षा
सम्मान
सक्षमीकरण

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, लैंगिक समानता और सुरक्षित समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए आशा की किरण के रूप में कार्यरत है।

- **संपर्क करें :**

  प्लॉट संख्या - 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025

  फोन: +91-11-26942369, +91-11-26944754

  ईमेल: ncw@nic.in

- **शिकायत और पूछताछ प्रकोष्ठ :**

  फोन: +91-11-26944880, +91-11-26944883

  ईमेल: complaints-ncw@nic.in

- **विधिक प्रकोष्ठ :**

  फोन: +91-11-269-44877

  ईमेल: legal-ncw@nic.in

- **पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ :**

  ईमेल: northeast-ncw@nic.in

- **मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ :**

  ईमेल: antitrafficking-ncw@nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग
24x7 हेल्पलाइन
7827170170

आयोग के संबंध में

राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) की स्थापना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई थी। आयोग रा.म.आ. अधिनियम, 1990 के तहत दिनांक 31 जनवरी, 1992 को अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने में सहायक रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकोष्ठ

- **पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ :** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं से जुड़े मामलों के समाधान पर बल देता है।
- **मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ :** जागरूकता, पुनर्वास और कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से मानव तस्करी से निपटने के लिए काम करता है।
- **विधिक जागरूकता प्रकोष्ठ :** महिलाओं के कानूनी अधिकारों को समझने पर बल देता है और विधिक साक्षरता के लिए कार्यशालाओं तथा अभियानों का आयोजन करता है।
- **महिला कल्याण और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ:** महिलाओं के कौशल में संवर्धन करके और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसर उत्पन्न करके उनको सशक्त बनाता है।
- **महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ:** कार्यस्थल पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर सुरक्षा के मामलों का समाधान करने वाली पहलों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ:** दिनांक 28/04/2008 के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के आदेश के अनुसार रा.म.आ. एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय एजेंसी है।

श्रीमती विजया रहाटकर
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिदेश

- **महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा :** महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की समीक्षा करना और उनमें संशोधनों की सिफारिश करना
- **उल्लंघनों के मामलों का समाधान :** अधिकारों के वंचन के मामलों की जांच करना और अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेना।
- **नीतिगत सिफारिशें :** महिलाओं के कल्याण और समानता के लिए नीतिगत उपायों के संबंध में सरकार को सलाह देना।
- **जागरूकता एवं समर्थन :** महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन एवं शोध करना तथा अभियान चलाना।
- **विधिक सहायता :** महिलाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **जेलों, मनोरोग/हिरासत गृह सुधार/वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और निगरानी :** हिरासत गृहों का निरीक्षण और महिलाओं के मानवीय उपचार और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए आवास सुविधाओं की सिफारिश करना।

मौजूदा कार्यक्रम

- **कौशल विकास :** आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डिजिटल साक्षरता, उद्यमशीलता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन।
- **विधिक जागरूकता अभियान :** निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श एवं जागरूकता सत्रों के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग।
- **आपके द्वार पहल :** महिलाओं की शिकायतों के द्रुतगति से समाधान के लिए राज्य स्तरीय जन सुनवाई सत्रों का आयोजन।
- **मानव तस्करी रोधी :** तस्करी के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए निवारक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन।
- **शी इज़ ए चेंजमेकर :** राजनीति और प्रशासन के क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व एवं संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- **अनुसंधान एवं प्रकाशन :** महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक मामलों के संबंध में अध्ययन एवं नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली रिपोर्टों का प्रकाशन।
- **डिजिटल शक्ति :** ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकने के लिए तथा डिजिटल कार्यक्षेत्र में सफल होने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयोजनार्थ साइबर सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन